न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 20/2021 **जीसीएमएस मु.न. 2021/42**

अनवान

1. वीभा पुत्र दानिया।
2. तलका पुत्र दानिया।
3. डुंगरा पुत्र दानिया।
4. हिमता पुत्र दानिया।
5. चतरा पुत्र रवजी।
6. राणा पुत्र रवजी।
7. करणा पुत्र रवजी।
8. बाबु पुत्र रवजी फौत के वारीसान
   8/1. वीया पुत्र बाबू।
   8/2. वीसा पुत्र बाबू।
   8/3. प्यारी बेवा बाबू जातियान भील, निवासीगण गोलासन, तहसील सांचौर, जिला जालौर।

वादीगण.......

1. हंजारी पुत्र रावता फौत के वारीसानः—
   1/1. शारदा बेवा हंजारी जाति भील, निवासी गोलासन, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
2. रुगनाथ पुत्र अजा जाति भील, निवासी गोलासन, तहसील सांचौर, जिला जालौर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालौर।

प्रतिवादीगण.........

दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अंतर्गत धारा 88, 90 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजुः— 22.03.2021

उपस्थिति :—
1. श्री सगताराम चौधरी, श्री शंकर चौधरी अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादीगण 1 से 3 बाद तामिल अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 28.05.2025

1. वादीया द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88, 90 राज[illegible]तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया। जिसके कथन [illegible] प्रकार है कि सरहद मौजा गोलासन में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के खाते [illegible] के पुराने खेत खसरा नम्बर [illegible] व 275 सेढा—सेढ आये हुये है। वादीगण के कब्जा काश्त [illegible] रकबा 39 वीघा व प्रतिवादी [illegible] 1 के काश्त का रकबा 18 वीघा 9 बिस्वा है यानि वादीगण के कब्जा काश्त का रकबा (खेत) बड़ा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त (खेत) का रकबा छोटा है जो नक्शा ट्रेश से व मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(... अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

की कब्जा काश्त से स्पष्ट है वादीगण के कब्जा का खेत का खसरा नम्बर 274 है जिसका मौके की माठो व कब्जा काश्त अनुसार रकबा 39 वीघा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खेत का खसरा नम्बर 275 है जिसका मौके की कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेश अनुसार रकबा 18 वीघा 9 बिरवा है। वादीगण के खेत खसरा नम्बर 274 का रकबा 39 वीघा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 275 का रकबा 18 वीघा 9 बिस्वा है लेकिन प्रथम सैटलमेंट के अधिकारियो व कर्मचारियों ने वादीगण के खेत खसरा नम्बर 274 का 18 वीघा 9 बिस्वा लिख दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 275 का रकबा 39 वीघा लिख दिया गया जबकि जागीरी समय से ही वादीगण की कब्जा काश्त व खेत की माठे व नक्शा ट्रेश अनुसार रकबा वादीगण के खेत का रकबा 39 वीघा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का मोके पर जागीरी समय से कब्जा काश्त 18 वीघा 9 वीघा पर ही है तथा नक्शा ट्रेश अनुसार भी प्रतिवादी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 275 का रकबा 18 वीघा 9 बिस्वा ही है लेकिन जमाबनदी में रकबा दर्ज करते समय वादीगण के खेत का रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 के खेत का रकबा वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। ऐसी अवस्था में वादीगण अपने रकबे की उद्‌घोषणा कब्जा काश्त अनुसार करवाने के विधि सम्मत अधिकारी होने से यह वाद श्रीमान की सेवामे पेश है। वादीगण के पुराने खसरा नम्बर 274 से नवीन पैमाईश अधिकारियो ने नये खसरा नम्बर 472, 473, 474, 473/1275 बनाये गये है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पुराने खसरा नम्बर 275 के नवीन खसरा नम्बर 475/1257 व 475 बनाये गये है जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 1 के नवीन खसरा नम्बर 475 का रकबा 6.30 हैक्टर दर्ज किया गया है जबकि खसरा नम्बर 475 का मौके की कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेश अनुसार इतना रकबा ही नही है मौके पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त मात्र 18 वीघा 9 बिस्वा यानि 2.98 हैक्टर पर ही है तथा वादीगण के वर्तमान खेत 472 का रकबा मौके की कब्जा काश्त व मौके पर स्थित माठो व नक्शा ट्रेश अनुसार खसरा नम्बर 472 का रकबा 2.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 473 का रकबा 1.89 हैक्टर व खसरा नम्बर 474 का रकबा 2.00 हैक्टर है। जो रकबा मौके पर भौतिक रूप से मौजूद है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज इस अनुरूप नहीं होने से यह वाद श्रीमान की सेवामे पेश है। वादीगण का जागीरी समय से कब्जा होने पर प्रतिवादीगण की वादीगण के कब्जा काश्त की मौन स्वीकृति जागीरी समय से होने से वादीगण का जागीरी समय से निर्बाद रूप से शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त होने से वादीगण को खातेदारी अधिकार स्वतः हासिल हो गये है जिसकी राजस्व रेकर्ड में उद्‌घोषणा करवाने के वादीगण विधिक अधिकारी होने से यह वाद श्रीमान की सेवामे प्रस्तुत है। वादीगण का कब्जा काश्त 6.31 हैक्टर (जिसमें खसरा नम्बर 472 का रकबा 2.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 473 का रकबा 1.89 हैक्टर, खसरा नम्बर 474 का रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नम्बर 475/1275 रकबा 0.01 हैक्टर) पर कब्जा काश्त जागीरी समय का पीढी दर पीढी होने से तथा मौके पर माठे [illegible] समय की होने से तथा नक्शा देश भी जागीरी समय का होने से प्रथम [illegible] में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के ही पक्ष में है लेकिन राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में इन्द्राजात भूलवश उल्टे (वादीगण का रकबा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व प्रतिवादी संख्या 1 का रकबा वादीगण के नाम) दर्ज कर देने से तथा अभी जमीनो के दाम अत्यधिक बढ़ जाने से प्रतिवादी के मन में खोट पैदा हो जाने से विधिविरूद्ध इन्द्राज के आधार पर वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है सरहद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर).

Scanned with OKEN Scanner

मौजा गोलासन के उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 472, 473, 474 का रकबा जागीरी समय से मौके पर स्थित कब्जा काश्त व मौके पर स्थित भौतिकी माठो अनुसार व नक्शा ट्रेश अनुसार रकबा क्रमशः 2.41 हेक्टर, 1.89 हैक्टर, 2.00 हैक्टर होने से तथा प्रतिवादीया के खेत खसरा नम्बर 475 का रकबा मौके के कब्जा काश्त व मौके की भौतिकी माठो अनुसार व नक्शा ट्रेश अनुसार जागीरी समय का 2.98 हैक्टर होने से वादीगण का शान्तिपूर्ण तरीके के इसी अनुरूप कब्जा काश्त होने से खातेदारी की डिकी उपरोक्त माफिक जारी की जावें। वादीगण के कब्जा काश्त के उपरोक्त रकबे में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीया सादिर फरमावें।

2. उक्त वाद दिनांक 22.03.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल पेश हुए बावजूद प्रतिवादीगण संख्या–1/1 लगायत 3 अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में वादीगण ने साक्ष्य सूची पेश कर अपनी और से गवाह पीडब्ल्यू – 1 वीभा पुत्र दानिया, पीडब्ल्यू – 2 तलका पुत्र दानिया, पीडब्ल्यू–3 हिमता पुत्र दानिया, पीडब्ल्यू–4 डुंगरा पुत्र दानिया पेश कर बयान साक्ष्य के रूप में करवाये गये तथा वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये जो खेतों की खतोनी बंदोबस्त संवत् 2012–2021 प्रदर्श –1, जमाबंदी संवत् 2012–2015 प्रदर्श–2, जमाबंदी संवत् 2026–2029 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत् 2030–2032 प्रदर्श –4, जमाबंदी संवत् 2033–2036 प्रदर्श–5, जमाबंदी संवत् 2037–2040 प्रदर्श–6, द्वितिय भू– प्रबंधक विभाग द्वारा जारी मिसल बंदोबस्त प्रदर्श–7 पुराना नक्शा ट्रेष प्रदर्श–8, प्रतिवादी के खेत की जमाबंदी संवत् 2026–2029 प्रदर्श–10, नये नक्शा ट्रेश–प्रदर्श–11, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–12 प्रदर्शित करवायें, एकपक्षीय होने से जिरह एवं शहादत प्रतिवादीगण बंद की गई।

4. हमने अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में निवदेन किया कि मौजा गोलासन में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी के पुराने खेत खसरा संख्या 274 व 275 सेढा– सेढ आये हुए है। वादीगण के कब्जा काश्त का रकबा 39 बीघा व प्रतिवादी संख्या 1 के काश्त का रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा है यानि वादीगण के कब्जा काश्त का खेत (रकबा) बडा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त (खेत) का रकबा छोटा है जो नक्शा ट्रेस व मौके की कब्जा काश्त से स्पष्ट है वादीगण के कब्जा का खेत खसरा नंबर 274 हैक्टेयर जिसका मौके की माठो व कब्जा काश्त अनुसार रकबा 39 बीघा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खेत का खसरा नंबर 275 है जिसका मौके की कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार रकबा 18 बीघा 9 बिस्वा है जो मौके की माठें, कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है नवीन पैमाइस के नये खसरा नंबर 472,473 474, 473/1275 सृजित हुए तथा ... रकबा ... दर्ज किया गया पुराने खसरा नंबर 275 के नवीन खसरा नंबर 475 का रकबा 6.30 हैक्टेयर दर्ज किया गया है जबकि खसरा नंबर 475 का मौके की कब्जा काश्त व नक्शा ट्रेस अनुसार इतना रकबा ही नहीं है मौके पर प्रतिवादी का कब्जा काश्त मांग 18 बीघा 9 बिस्वा अर्थात् 2.98 हैक्टेयर पर ही है तथा वादीगण के वर्तमान खेत 472 का रकबा मौके की कब्जा काश्त व मौके पर स्थित माठों व नक्शा ट्रेस अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा संख्या 472 का रकबा 2.00 हैक्टेयर है जो रकबा मौके पर भौतिक रूप से मौजूद है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में इस अनुरूप इन्द्राज नहीं है। अतः निवेदन है कि वादीगण को रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावें।

5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण क बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली भाँति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्वित बिन्दु यह है कि मौजा गोलासन किया गया। प्रकरण में निर्वित बिन्दु यह है कि मौजा गोलासन में वादीगण की खातेदारी का खेत पुराना खसरा संख्या 274 व प्रतिवादीगण की खातेदारी का पुराना खेत खसरा संख्या 275 जो दोनों खेत सेढा–सेढ आये हुए है वादीगण के खेत खसरा संख्या 274 का रकबा 39 बीघा है तथा प्रतिवादी के खेत खसरा संख्या 275 का रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा है किन्तु भूलवंश वादी के खेत का रकबा प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण के खेत का रकबा वादीगण के खाते में दर्ज कर दिया जिसे सुधार जावें ? इस संबंध में वादीगण ने खेत खसरा संख्या 274 की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2012– 2031 प्रदर्श–पी पेश की तथा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–12 पेश किया। मिसल बंदोबस्त संवत् 2012–2031 में कॉलम संख्या 3 में खातेदार अजा वल्द अजसी कौम– भील का नाम दर्ज है वादीगण द्वारा वाद में अजा वल्द अजसी की वंशावली पेश नहीं की गई है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण अजा वल्द अजसी के वंशज हो इसी प्रकार वादीगण द्वारा उक्त आराजी पर वादीगण का लगातार एडवर्ज पजेशन होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। जिससे यह माना जावे कि पुराना खेत खसरा संख्या 274 का रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा न होकर मौके पर 39 बीघा अगर वास्तविक खेत खसरा संख्या 274 का रकबा 39 बीघा होता तो वादीगण वादग्रस्त आराजी का मौके की स्थिति व रकबा के संबंध में न्यायालय के मार्फत मौका रिपोर्ट अवश्य तलब करवाने किन्तु वादीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 274 का रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा न होकर मौके पर 39 बीघा है व खेत खसरा संख्या 275 का रकबा 39 बीघा न होकर मौके पर 18 बीघा 09 बिस्वा हो तथा उस पर उपरोक्तानुसार वादीगण का व प्रतिवादीगण का कब्जा हो इस संबंध में वादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विश्लेषण व विवेचन से वादीगण का वाद सबूतों के अभाव में काबिल खारिज होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

–:आदेश:–

फलतः वादीगण की ओर से पेश वाद सबूतों के अभाव में अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा पूर्ति हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.06 15:47:16 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर
साचौर जिला–जालोर

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
साचौर जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

Scanned with OKEN Scanner